पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस), मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु भर्ती परीक्षा- 2020 के संबंध सूचना

पुलिस मुख्यालय, भोपाल, के पत्र क्रमांक/पुमु/अमनि/निस/चयन/274 ए/2020 भोपाल दिनांक 22/10/2020 के तारतम्य में आरक्षक संवर्ग की भर्ती परीक्षा के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजन संबंधी निम्नानुसार संभावित तिथिया निर्धारित की जाती है

स.क्र.	विवरण	संभावित तिथियाँ
01	विभागीय नियमों एवं परीक्षा संचालन के संबंध में विस्तृत नियम पुस्तिका प्रकाशन की संभावित तिथि	25/11/2020
02	ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित करने की तिथि	24/12/2020
03	ऑनलाईन आवेदन पत्र भरे जाने की अंतिम तिथि	07/01/2021
04	आवेदन पत्र संशोधन किये जाने की अंतिम तिथि	12/01/2021
05	परीक्षा की तिथि	06/03/2021 से प्रारंभ

1. उपरोक्त समस्त तिथियॉ पूर्णतः संभावित है । जिनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभव है ।

2. विभाग से प्राप्त मांग पत्र अनुसार पदों की कुल संभावित संख्या 4000 है । जिनमें परिवर्तन संभव है ।

3. पदों की विस्तृत जानकारी एवं आयु सीमा संबंधी जानकारी बोर्ड की अधिकारिक वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर (परिशिष्ठ-1 पर) उपलब्ध है ।

परिशिष्ट–1

(1) विभाग से प्राप्त मॉग पत्र अनुसार पदों की कुल संभावित संख्या

Radio

Constable (Radio)	UR	OBC	SC	ST	EWS	Total
Open	16	16	9	11	6	**58**
Ex Serv (10%)	4	4	2	3	1	**14**
HG (15%)	6	6	3	4	2	**21**
Female (33%)	12	12	7	9	5	**45**
Total	38	38	21	27	14	**138**

Other than Radio

Constable (GD)	UR	OBC	SC	ST	EWS	Total
Open	472	472	280	349	175	**1748**
Ex Serv (10%)	104	104	62	78	39	**387**
HG (15%)	157	157	92	116	58	**580**
Female (33%)	310	310	183	229	115	**1147**
Total	1043	1043	617	772	387	**3862**

Radio+ Other than Radio = 138+3862=4000

Break up:DEF

GD	UR	OBC	SC	ST	EWS	Total
Open	394	394	234	292	146	**1460**
Ex Serv (10%)	94	94	56	70	35	**349**
HG (15%)	141	141	83	104	52	**521**
Female (33%)	310	310	183	229	115	**1147**
Total	939	939	556	695	348	**3477**

Break up:SAF

GD	UR	OBC	SC	ST	EWS	Total
Open	78	78	46	57	29	**288**
Ex Serv (10%)	10	10	6	8	4	**38**
HG (15%)	16	16	9	12	6	**59**
Female (Nil)	0	0	0	0	0	**0**
Total	104	104	61	77	39	**385**

(2) आयु:-

i. आयु सीमा :- **आयु की गणना दिनांक 1 अगस्त 2020 से की जाएगी।**

ii. वर्दीधारी पदों हेतु आयु सीमा का निर्धारण शासन द्वारा जारी आदेश के अनुरूप किया जावेगा एवं वह आयु-सीमा जो शासन द्वारा वर्दीधारी पदों हेतु निर्धारित की जावेगी उस आयु सीमा में आने वाले अभ्यर्थियों को वर्दीधारी पदों हेतु पात्र माना जावेगा।

iii. आयु-सीमा में अधिकतम छूट

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>सभी पदों के लिए</th><th>न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>पुरूष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)</td><td>18 से 33</td></tr>
<tr><td>2</td><td>महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)</td><td rowspan="3">18 से 38</td></tr>
<tr><td>3</td><td>आरक्षित श्रेणी (पुरूष/महिला आवेदक) -
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग</td></tr>
<tr><td>4</td><td>शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक</td></tr>
</table>

iv. प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाली छूटें:-

a. विक्रम पुरूस्कार' प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में भी उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

b. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत

पुरुस्कृत किसी दम्पत्ति में से उच्च जाति के पति/पत्नि के मामले में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक छूट दी जावेगी।

c. **प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाली छूटों के** अंतर्गत **यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में मिलने वाली सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले एक आधार के लिये छूट मिलेगी।**

v. भूतपूर्व सैनिक हेतु छूटें:-

a. उनकी वर्तमान आयु में से उनके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, किन्तु उसके परिणाम स्वरूप आयु आवेदक की पात्रता की उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

b. ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें सेवानिवृत्त रियायतों (मास्टरिंग आउट कान्सेशन) के अधीन सेवामुक्त किया गया हो।

c. ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो दूसरी बार भर्ती किये गये हो, और

(क) अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) भर्ती संबंधी शर्तों के पूर्ण हो जाने पर सेवामुक्त कर दिये गए हो।

d. ऐसे अधिकारी (सैनिक अथवा असैनिक) जो उनकी संविदा के पूर्ण होने पर सेवामुक्त किये गये हो (जिनमें अल्प अवधि सेवा के नियमित कमिशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित है)।

e. ऐसे अधिकारी जिन्हे अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के बाद सेवोन्मुक्त किया गया हो।

f. ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।

g. ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवामुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक बनने योग्य नहीं रहें।

h. ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हे गोली लगने, घाव आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग किया गया हो।

स्पष्टीकरण1: पद "भूतपूर्व सैनिक" ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो उपरोक्त प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 मास की निरंतर कालावधि तक नियोजित रहा हो तथा किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत कराने को या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययता ईकाई की सिफारिश के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छँटनी की गई हो या अधिशिष्ट घोषित किया गया हो।

स्पष्टीकरण 2 : आवेदन के समय सेवारत सैनिक को भूतपूर्व नहीं कहा जा सकता भले ही सेना में उसकी सेवा की अवधि आने वाले समय में पूर्ण हो रही हो। इस सम्बंध में मध्य प्रदेश के बाहर या अन्य राज्य के कोई भी आदेश/दिशा-निर्देश मान्य नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण 3: किसी भूतपूर्व सैनिक ने पूर्व में यदि किसी शासकीय सेवा में आने के लिए लाभ प्राप्त कर चुका है तो अब वह भविष्य में होने वाली किसी भी भर्ती के लिए भूतपूर्व सैनिक नहीं कहलायेगा।

vi. स्वंयसेवी नगर सैनिक तथा नगर सैनिक नान-कमीशण्ड अधिकारियों के मामले में इन पदों पर उनकी पूरी 3 वर्ष की सक्रिय सेवा होना चाहिए।

vii. सामान्य स्पष्टीकरण:

a. शासकीय अभ्यार्थियों को चयन के लिये उपस्थित होने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को पूर्व सूचना देनी होगी। नियुक्ति के समय

नियुक्ति प्राधिकारी की अनुज्ञा एवं अंतिम वेतन पर्ची प्रस्तुत करनी होगी। केवल वही शासकीय अभ्यर्थी आयु में छूट का लाभ ले पाएँगे जो कि उस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं जिसका वेतनमान उनके पूर्व पद के मुक़ाबले अधिक है।

b. संविदा/शासकीय/अर्धशासकीय अथवा भूतपूर्व सैनिकों, नगर सैनिकों के प्रकरणों में अनुशासन अयोग्यता के आधार पर अथवा सेवा से अनुशासनात्मक कारणों से हटाये गए अन्य उम्मीदवार भर्ती के लिये योग्य नहीं होगें।

c. शासन के मानदेय पर या अन्य स्वयंसेवियों या संविदा कर्मचारियों यथा 'शिक्षा कर्मी' 'पंचायत कर्मी' आदि को आयु में छूट की सुविधा प्राप्त नही होगी।